न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—502/2015/223 (2015/00299)

1. श्रीमती धापू पत्नि भैरूराम, **(फौत) नाम तर्क**
2. हरकरण पुत्र भेरूराम,
3. रामेश्वर पुत्र भैरूराम,
4. रामस्वरूप पुत्र भैरूराम,
5. रामरतन पुत्र भैरूराम,
6. घीसी देवी पुत्री भैरूराम,
7. प्रेमदेवी पुत्री भैरूराम,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मंमाण, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायण पुत्र भैरू
2. छोटी देवी पत्नि रामकरण,
3. जगदीश पुत्र रामकरण,
4. जेता देवी पुत्री रामकरण,

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मंमाण, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, दिनांक 12.10.2015 अंतर्गत वाद संख्या 53/2014

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 17.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक व दुरूस्ती इंद्राज बाबत् राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष्ज्ञ पेश कर निवेदन किया कि कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम मंमाण, तहसील दूदू में खसरा नंबर 223, 225, 246, 247, 250, 747 कुल किता 6 कुल रकबा 3.79 है0 अवस्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजियात वादीगण/अपीलांटस एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । वादीगण एवं प्रतिवादी भैरू पुत्र बिंजा के वारिसान है जबकि उक्त आराजी भैरू पुत्र बोदू के नाम

खातेदार दर्ज है, क्योंकि बोदू, बिंजा पुत्राना उदा के वारिसान में बोदू नाऔलाद फौत हुआ है तथा बोद व बिंजा दोनों साथ रहने के कारण भैरू पुत्र बिंजा के स्थान पर उक्त आराजी के राजस्व अभिलेख में भैरू पुत्र बिंजा के स्थान पर भैरू पुत्र बोदू दर्ज हो गया जबकि अन्य आराजी में भैरू पुत्र दर्ज है जो उक्त आराजी के राजस्व अभिलेख में भैरू पुत्र बोदू के स्थान पर भैरू पुत्र बिंजा का इंद्राज दर्ज करवाने बाबत् उक्त वाद वास्ते घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती प्रस्तुत किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर वाद स्वीकार कर वाद को डिक्री किये जाने बाबत् इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत किया । अधी0न्याया0 ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपास्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित किया है । वादपत्र में दर्शाये सजरा अनुसार बोदू, बिंजा पुत्रान उदा मे ंसे बोदू नाऔलाद फौत हो गया था किन्तु बोदू व बिंजा एक साथ रहते थे तथा बोदू के विधिक उत्तराधिकारी बिंजा के वारिसान होने के कारण दोनों की सम्पति भैरू के नाम दर्ज हुई किन्तु राजस्व अभिलेख में सद्भाविक त्रुटिवश भैरू पुत्र बिंजा के स्था पर भैरू दर्ज हो गया जिसकी दुरूस्ती किये जाने हेतु दोनों पक्ष सहमत होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे को नजरअंदाज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश करने के उपरांत अधी0न्याया0 के समक्ष वाद को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं था । अधी0न्याया0 ने राजीनामा पर निर्णय किये बिना मूल वाद को वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष सजरा पेश किया जिसके अनुसार उदा के दो पुत्र बोदू व बिंजा थे, जिनमें से बोदू नाऔलाद अविवाहित फौत हो गया था किन्तु बोदू व बिंजा एक साथ रहते थे तथा बोदू के विधिक उत्तराधिकारी बिंजा के वारिसान होने के कारण दोनों सम्पति भैरू के नाम दर्ज हुई किन्तु राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश भैरू की वल्दियत बिंजा के स्थान पर भैरू पुत्र बोदू दर्ज कर दिया गया । इस दुरूस्ती के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर इकबाली जवाबदावा तथा राजीनामा पेश कर वादीगण/अपीलांटस का वाद स्वीकार कर वाद में चाहे अनुसार राजस्व अभिलेख में इंद्राज दुरूस्ती करने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा एवं इकबाली जवाबदावा पेश करने के उपरांत अधी0न्याया0

द्वारा राजीनामे बाबत् किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं कर केवल मात्र वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर राजीनामे को नजरअंदाज कर वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त किया है जबकि अधी0न्याया0 को राजीनामे को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के संबंध में निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था । पक्षकाराना द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को अनिर्णित रखकर विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6. उपरोक्त विवेन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 12.10.2015 निरस्त की जाती है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को निर्णित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 17.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर